न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 17/2017/अपील नामान्तरकरण

मनोज कुमार दत्तक पुत्र गिरधारी, जाति ब्राहम्ण, निवासी दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)। अपीलान्ट

बनाम

1. पाना देवी पत्नी स्व0 गिरधारी, जाति ब्राहम्ण निवासी दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)।
2. द्वारका प्रसाद पुत्र मन्नाराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी नरोदड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)।
3. तहसीलदार, तहसील व जिला सीकर। रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री नोपाराम जांगिड़ अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व
नामा. संख्या 975 निर्णय दिनांक 31.05.2017 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 14 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया हैः–

(1) ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 5.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.26 हैक्टयर अवस्थित है। जिसका खातेदार काबिज काश्तकार स्व0 गिरधारी पुत्र नारायण था, जो अपीलान्ट का दत्तक पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पति था। उक्त वर्णित भूमि बाबत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व गिरधारी के मध्य वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकरी सीकर एवं अपर जिला जज कम संख्या 4 सीकर में चल रहा था जिसमें न्यायालय अपर जिला जज सीकर द्वारा अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व प्रथम अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है लेकिन उक्त निर्णय के बाद अदालत तहसीलदार सीकर ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2017 द्वारा चुनौतीग्रस्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

पक्ष में स्वीकार कर लिया गया। उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया और अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

(2) चुनौग्रस्त नामान्तरण में दर्ज कृषि भूमियां बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद संख्या 120/1993 के दो वाद मनोज कुमार बनाम गिरधारी आदि सन 1993 से व मनोज कुमार बनाम द्वारका प्रसाद आदि सन 2002 पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में प्रस्तुत किये थे जिनमें आगामी पेशी 14.09.2017 नियत है, जो दोनों वाद उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादों का निर्णय होने से पूर्व ही चुनौतीग्रस्त नामान्तरण स्वीकार कर लिया। गोद का बिन्दू अपीलीय न्यायालय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे पूर्व ही नामान्तरण स्वीकार किया गया है।

(3) अपीलान्ट ने एक वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश सीकर में उनवान मनोज कुमार बनाम गिरधारी आदि पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 04.05.2017 को हो गया। जिसमें अपीलान्ट के वाद को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रस्तुत कर दी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त नामान्तरण स्वीकर कर लिया कि उक्त निर्णय दिनांक 04.05.2017 की पालनार्थ नामान्तरण विरासतनामा स्वीकार किया जाता है।

(4) अपीलान्ट स्व0 गिरधारी लाल व पाना देवी का दत्तक पुत्र है। द्वारका प्रसाद गोद पुत्र नहीं है तथा वारिस प्रमाण पत्र गलत बनवाया गया है। नामान्तरण में दर्ज कृषि भूमियों पर अपीलान्ट बहैसियत गोद पुत्र काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सही वारिसों की जांच किये व कब्जा की जांच किये चुनौग्रस्त नामान्तरण स्वीकार कर लिया।

(5) विरासत के नामान्तरण को सुनवाई का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत को है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरण स्वीकार किया है तथा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलान्ट का हित चुनौतीग्रस्त नामान्तरण में दर्ज भूमियों में है। अपीलान्ट उक्त आदेश से पीड़ित है।

(6) वादग्रस्त भूमियों में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपना नाम चुनौतीग्रस्त नामान्तरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर वादग्रस्त भूमियों के

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(राज मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

विक्रय व अन्तरण हेतु आमादा हो रहे हैं तथा ग्राहक लाकर वादग्रस्त भूमि को विक्रय हेतु दिखा रहे हैं। दिनांक 18.07.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अजनबी व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि विक्रय हेतु दिखा रहे थे तथा अपीलान्ट से कहा कि हम इसका विक्रय करेगें क्योंकि नामान्तरण हमारे नाम से हो चुका है। यदि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त सम्पदा को विक्रय अनतरण कर देगें तो अपीलान्ट को असीम क्षति होगी।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण अपास्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्ट स्व0 गिरधारी लाल व पाना देवी का दत्तक पुत्र है। द्वारका प्रसाद गोद पुत्र नहीं है तथा वारिस प्रमाण पत्र गलत बनवाया गया है। नामान्तरण में दर्ज कृषि भूमियों पर अपीलान्ट बहैसियत गोद पुत्र काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सही वारिसों की जांच किये व कब्जा की जांच किये चुनौग्रस्त नामान्तरण स्वीकार कर लिया। विरासत के नामान्तरण को सुनवाई का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत को है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरण स्वीकार किया है तथा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया। इसके सम्बन्ध में एक अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है तथा इसका निर्णय हो जाने पर रिकॉर्ड में अनावश्यक संशोधन इन्द्राज करने होगें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त नामान्तरण निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. वकील रेस्पोडेन्टस ने लिखित बहस पेश कर अभिकथन किया कि न्यायालय अपर जिला जज सीकर में विचाराधीन वाद संख्या 120/1993 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के गोदनामें को निरस्त करवाने का व अपीलान्ट को स्वयं को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके पति गिरधारी लाल का गोद का पुत्र घोषित करवाने का था। यह वाद न्यायालय अपर जिला जज संख्या 4 सीकर के द्वारा दिनांक 04.05.2017 को निरस्त कर दिया गया और इस वाद पर की प्रथम

(यज मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अपील जो अपीलान्ट मनोज कुमार के द्वारा अपील संख्या 390/2017 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई उसमें इस अपील के साथ जो स्थगन आवेदन संख्या 2061/2017 प्रस्तुत किया गया उसको भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 08.11.2017 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपर जिला जज सीकर के द्वारा अपीलान्ट को गिरधारी का दत्तक पुत्र मान्य नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जांच का विषय नहीं था और न ही अपीलान्ट को पक्षकार बनाने का कोई विषय था। अपीलान्ट अनधिकृत व्यक्ति होने के कारण उसको न्यायालयों के निर्णयों के विपरीत पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं था और न ही अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार था। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट स्व0 गिरधारी का दत्तक पुत्र है। ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 5.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.26 हैक्टयर में अपीलान्ट को पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय न्यायालय एडीजे सीकर द्वारा अपीलान्ट का प्रकरण विस्तृत विवेचन व गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया है एवं उसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है। निहित बिन्दु के बाबत विस्तृत विवेचन अपर जिला जज सीकर द्वारा किया गया है। विस्तृत विवेचन के उपरान्त प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया गया है। वर्तमान में विचाराधीन प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अलावा अपीलान्ट द्वारा कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 975 दिनांक 31.05.2017 के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है।

7. अपील अपीलान्ट सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक :14 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner